**लोक शिक्षण संचालनालय**
**मध्यप्रदेश**

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./28/07/2027 भोपाल,दिनांकः 28/6/07

**आदेश**

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों के स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किए जाते हैं :–

| स.क. | नाम, पद एवं पदस्थापना | वर्तमान जिला | वांछित पद स्थापना का जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अतुल शर्मा, सहा.शि.शा.क.प्रा.वि.खनियाधाना, | शिवपुरी | ग्वालियर |
| 2 | नीता तोमर,सहा.शि.शा.क.मा.वि.अम्बा | मुरैना | ग्वालियर |
| 3 | श्री रामवीर सिंह तोमर,प्र.अ.शा.प्रा.वि.रेनपुरा अम्बाह | मुरैना | ग्वालियर |
| 4 | श्री प्रेमनारायण माहौर,सहा.शि.शा.प्रा.वि.कीरतपुरा गोहद | भिण्ड | ग्वालियर |
| 5 | श्री अशोक कुमार खरे,सहा.शि.शा.मा.शा.इमलिया बल्देवगढ | टीकमगढ़ | भोपाल |
| 6 | श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव,सहा.शि.शा.मा.शा.मझगवॉ नागौद | सतना | भोपाल |
| 7 | श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव,सहा.शि.शा.प्रा.वि.संकट मोचन भाण्डेर | दतिया | शिवपुरी |
| 8 | श्री कृष्ण कुमार विश्वकर्मा,सहा.शि.शा.प्रा.शा.बूढ़ा | छतरपुर | शाजापुर |
| 9 | श्रीमती विजय आनन्द सहा.शि.शा.प्रा.शा.गोपाल मंदिर | टीकमगढ़ | ग्वालियर |
| 10 | श्री संदेश श्रीवास्तव, उ.श्रे.शि.शा.उत्कृष्ट वि.सिवनी | सिवनी | सतना |
| 11 | श्री रामकुमार श्रीवास्तव,सहा.शि.शा.क.मा.वि.मिहोना | भिण्ड | भोपाल |

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे ।

..2...

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहॉ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका– 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश हैं । अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.कमांक / स्था.3 / सी–2 / अं.जि.स्था. / 28 / 07 / 2028 भोपाल,दिनांक: 28/6/07
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला – शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, टीकमगढ़, भोपाल, सतना, दतिया, छतरपुर, शाजापुर, सिवनी एवं सतना म.प्र. ।

6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला– शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, टीकमगढ़, भोपाल, सतना, दतिया, छतरपुर, शाजापुर, सिवनी एवं सतना म.प्र. ।

7- जिला शिक्षा अधिकारी जिला– शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, टीकमगढ़, भोपाल, सतना, दतिया, छतरपुर, शाजापुर, सिवनी एवं सतना म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।

8. संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री.......................................................................................

........................................ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश